[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2025 - केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि......(अ).- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 8/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।